ज़ुल्म के खिलाफ़ आवाज़

Postal Regd. No.:MNW/308/2016-

कार्यकारी संपादक : सलीम माहीमकर

वर्ष : ०४ अंक : ३४ मुंबई, शुक्रवार, २७ जुलाई से २ अगस्त २०१८ RNI No. : MAHHIN/2014/59999 पृष्ठ : ४ मूल्य : २/- रुपये

दाउद इब्राहिम की एक और संपत्ति होगी नीलाम

अंडरवर्ल्ड डॉन व १९९३ मुंबई धमाकों के गुनहगार दाउद इब्राहिम की एक अन्य संपत्ति की नीलामी होने जा रही है. स्मगलिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स (फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी) एक्ट के तहत मुंबई के भिंडी बाजार स्थित दाउद से जुड़ी संपत्ति की नीलामी ९ अगस्त को होने जा रही है. इस एक्ट को साफेमा भी कहते हैं.

गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय ने साफेमा के तहत मुंबई, औरंगाबाद, वलसाड, दमन, सूरत और अहमदाबाद की ९ संपत्तियों की नीलामी के लिए भी बोली आमंत्रित की है. यह संपत्ति मासूला बिल्डिंग (सी.एस. नं० ४२७५) है. यह २४/२६ पाकमोडिया स्ट्रीट पर स्थित है और २८/२९ बाप्टी रोड, भिंडी बाजार, मुंबई-३ में है जिसे अमीना बिल्डिंग भी कहते हैं. दाउद से जुड़ी इस संपत्ति का आधार मूल्य ७९,४३,००० रुपए निर्धारित किया गया है. जिसके लिए २५ लाख रुपए बयाना राशि के तौर पर जमा करने होंगे. बयाना राशि को जमा करने की अंतिम तिथि ६ अगस्त है. जिसके बाद ९ अगस्त को वाई बी चव्हाण ऑडिटोरियम मे सुबह १० से १२ बजे तक ई-ऑक्शन, सार्वजनिक नीलामी और सीलबंद निविदा के तहत नीलामी का प्रावधान किया गया है.

दाउद से जुड़ी इस संपत्ति की नीलामी के लिए साफेमा के तहत विज्ञापन निकाला गया है. जिसकी खरीद के लिए इच्छुक पक्ष साफेमा अधिकारियों के साथ संपत्ति का निरीक्षण २४ जुलाई को कर सकेंगे. आपको बता दें कि पिछले वर्ष साफेमा के तहत दाउद से जुड़ी तीन संपत्तियों की बोली सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट नामक संस्था ने ११.५० करोड़ रुपए में जीती थी. इन तीन संपत्तियों में शबनम गेस्ट हाउस, दामरवाला बिल्डिंग और होटल रौनक अफरोज शामिल थे. दाउद से जुड़ी संपत्ति की नीलामी से इस बार २-३ करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भी सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट नीलामी के लिए बोली लगाने वालों की सूची में अग्रणी रहेगी.

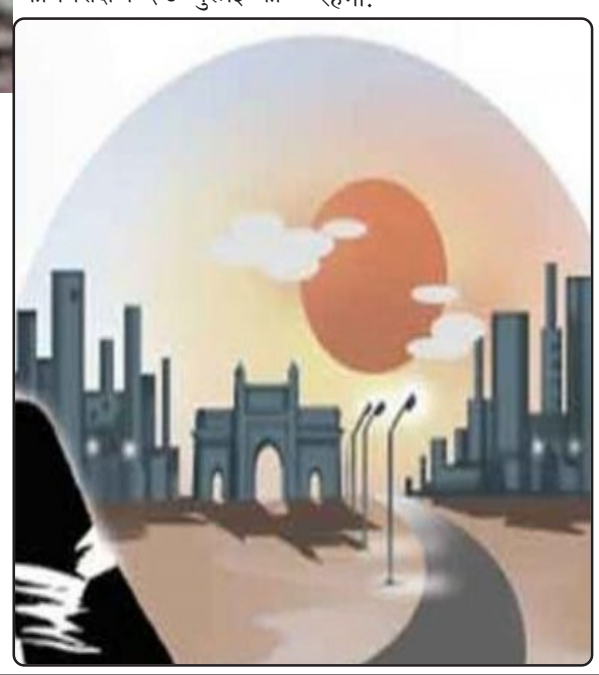

काँग्रेसी गुंडों ने किया वरिष्ठ पत्रकार दीनानाथ तिवारी पर जानलेवा हमला

हमले की घटना पर चारों तरफ निंदा

पुलिस ने किया एफ.आई. आर. दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

संवाददाता

मुंबई। मालाड पूर्व पठान वाड़ी एक्सप्रेस हाइवे के पास 'मेट्रो दिनांक' अखबार के संपादक दीनानाथ तिवारी के ऊपर कुछ गुंडो ने जानलेवा हमला किया, जिन्हें मालाड (पूर्व) के श्री बालाजी अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में एफ.आई. आर. दर्ज किया है, परंतु खबर लिखे जाने तक आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मालाड के पठान वाड़ी एक्सप्रेस हाइवे, रिलायंस एनर्जी के पास कांग्रेसी नेता जया पेंगल का ऑफिस है। उस ऑफिस में संतोष नगर का रहने वाला कांग्रेसी नेता के. ए.दीक्षित प्रति दिन वहां आकर बैठता है और पत्रकारों को जी भर गालियाँ बकते रहता है, और वहां बैठे कांग्रेसी नेता दीक्षित को और उकसाने का प्रयास करते रहते हैं। २५ जुलाई २०१८ को दोपहर को संयोग से उस ऑफिस में जया पेंगल से मिलने 'मेट्रो दिनांक'

के संपादक दीनानाथ तिवारी गए हुए थे। उसी दौरान दीक्षित पत्रकारों को लेकर तरह-तरह की बातें और गालियाँ बक रहा था और वहां बैठे कांग्रेसी नेता लुफ्त उठा रहे थे। यह माजरा देख दीनानाथ तिवारी को बुरा लगा और दीक्षित को रोकने का प्रयास करने लगे तो दीक्षित ने दीनानाथ तिवारी को भी बुरा भला कहने लगा। इसके बाद दीक्षित ने अपने लड़के अवधेश दीक्षित को फोन किया और उसे १५ गुंडों (चर्सी और गर्दुल्ले) को लेकर जया पेंगल के ऑफिस पर पहुंचने के लिए कहा, १५ - २० मिनट के बाद कई गुंडे पहुंच गए और दीनानाथ तिवारी के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। जिसमें लोहे के रॉड, सरिया से हमला किया जिसमें श्री तिवारी को गंभीर चोटें आयी है।वहां मौजूद कई लोगों के बीच-बचाव के बाद किसी तरह दीनानाथ तिवारी को बचा लिया गया।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार के. ए. दीक्षित संतोष नगर का बदनाम व्यक्ति है जो अवैध तरीके रिक्शा पार्किंग कराना, चर्सी, गर्दुल्लों को संरक्षण देने के लिए बदनाम है। के. ए. दीक्षित और उसका बेटा अवधेश दीक्षित ने संतोष नगर में अवैध गतिविधियां को आए दिन अंजाम देते रहते हैं। इनकी अवैध गतिविधियों को कुछ पत्रकारों ने उजागर करना शुरू किया तो ये बाप-बेटे सभी पत्रकारों पर खार खाकर बैठे थे।

सूत्रों का कहना है कि दीक्षित पिता-पुत्र ने वरिष्ठ पत्रकार दीनानाथ तिवारी पर हमला करके अपने अवैध धंधे को खुद ही नेस्तानाबूत करने का काम किया है। अवैध रिक्शा पार्किंग की वसूली पर उछलने वाले दीक्षित पिता-पुत्र और उनके चर्सी गर्दुल्ले गुंडों को पुलिस और पत्रकार संगठनों ने सबक सिखाने के लिए कमर कस लिया है। वरिष्ठ पत्रकार दीनानाथ तिवारी पर हुए हमले की पत्रकारिता जगत के साथ-साथ राजनीतिक दलों के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कहा है कि श्री तिवारी पर हमला करने वाले गुंडों पर कडक कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं पत्रकारों ने मांग की है कि पत्रकार संरक्षण कानून लागू होने के बाद वरिष्ठ पत्रकार पर हुए इस हमले के बाद आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालकर उनपर कडक कानूनी कार्रवाई की जाए।

पुलिस के घर में ही छिपा रहा चांदी की ईंटों का खलनायक

दाऊद ने भिजवाई थीं सिल्वर की सिल्लियां

मुंबई : करीब तीन दशक पहले दाऊद इब्राहिम द्वारा भिजवाई गईं चांदी की ईंटों को लेकर पालघर के वडराई गांव के लोगों को बुरी तरह पीटा गया था। कुछ का कत्ल भी कर दिया था। दहशत इतनी थी कि फिल्म शोले के गब्बर जैसा डर पूरे गांव में करीब एक साल तक रहा। उस केस के तमाम आरोपियों में से एक चंद्रकांत पाटील भी था। कांदिवली क्राइम ब्रांच ने सोमवार को उसे बोरिवली से गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि जिस पाटील की मुंबई पुलिस को इतने साल से तलाश थी, वह महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा से लगे बेलगांव में एक पुलिस अधिकारी के घर में ही रहता था। डीसीपी निसार तांबोली ने को बताया कि हमने आरोपी को नालासोपरा पुलिस को सौंप दिया है। साल २००३ में नालासोपारा में राजेंद्र पतंगे नामक बिल्डर का मर्डर कर दिया गया था। उस केस में भी चंद्रकांत पाटील शामिल था।

१९९० में दाऊद ने मिडिल ईस्ट से समुद्र के रास्ते चांदी की ईंटें भिजवाई थीं। जिस जहाज से ये ईंटें लाई जा रही थीं, वह पालघर के वडराई गांव में समुद्र के किनारे आते-आते पलट गया था। उस जहाज में हजारों चांदी की ईंटें थीं। हर ईंट का वजन ३५ किलो से भी ज्यादा था। जैसे ही जहाज में चांदी की ईंटें होने की खबर पहुंची, गांव में काफी लोगों ने वे ईंटें उठा लीं और अपने-अपने घरों में रख लीं। उसके बाद दाऊद के लोगों ने वडराई गांव के लोगों को प्रताडित करना शुरू कर दिया। इन ईंटों की वापसी के लिए गांव के लोगों को इतनी बुरी तरह मारा गया कि दो की मौत हो गई। एक ने खुदकुशी कर ली। गांव के लोगों की हत्या और प्रताड़ना में जो लोग शामिल थे, उनमें चंद्रकांत पाटील व एक पुलिस अधिकारी भी शामिल था। इस पुलिस अधिकारी का बेलगांव में फार्म हाउस है। मुंबई क्राइम ब्रांच सूत्रों का कहना है कि चंद्रकांत उसी के फार्म हाउस में ही रहता था। चंद्रकांत पाटील मूल रूप से नालासोपरा का रहने वाला है। करीब एक साल पहले किसी ने एसीपी अभय शास्त्री और सीनियर इंस्पेक्टर चिमाजी आढाव को उसके मुंबई आने-जाने की टिप दी थी। कांदिवली क्राइम ब्रांच की टीम तब से उसे लोकेट करने की कोशिश कर रही थी। सोमवार को जैसे ही उसके बोरिवली होने की खबर मिली, इंस्पेक्टर शरद झीने और नितिन उतेकर ने उसे वहां घेरा। इस तरह कई साल से फरार यह आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। क्राइम ब्रांच सूत्रों का कहना है यह चंद्रकांत पाटील उस दौर से अंडरवर्ल्ड में है, जब दाऊद इब्राहिम व छोटा राजन एक साथ काम करते थे। बिल्डर राजन पतंगे के जिस मर्डर में उसे मंगलवार को नालासोपारा पुलिस की हिरासत में दिया गया है, उसमें छोटा राजन भी आरोपी है।

सुभाष सिंह ठाकुर के साथ वारदात

१९९० के वडराई कांड के बाद वह दिल्ली में सुभाष सिंह ठाकुर के साथ टाडा केस में पकड़ा गया था। सुभाष सिंह ठाकुर को चर्चित जे. जे शूटआउट में आजीवन कारावास की सजा हुई है। फिलहाल वह नैनी जेल में बंद है। चंद्रकांत पाटील दिल्ली केस में जेल में पांच साल रहने के बाद बाहर आया और फिर उसने साल २००३ में नालासोपारा में बिल्डर राजेंद्र पतंगे का मर्डर कर दिया। इसके बाद वह कुछ दिनों तक पुणे में रहा। वहां से फिर वह बेलगांव चला गया और अपने पुलिस वाले दोस्त के फार्म हाउस में रहने लगा। उसने वहां अपनी पूरी शिनाख्त बदल ली। वह चंद्रकांत पाटील से चरण पालेकर बन गया। इसी नाम के उसने फर्जी दस्तावेज बनवा लिए। सिर्फ परिवार वालों को छोड़कर हर कोई उसे उसके नए नाम से जानता था, पुराने नाम से नहीं। परिवार से इस जुड़ाव की वजह से ही वह बार-बार मुंबई आता था। उसी में वह जांच एजेंसियों की नजर में आ गया और अंततः सलाखों के पीछे पहुंच गया।

चाकू से १८ बार हमला करके की पुलिसवाले की हत्या

महाराष्ट्र के सांगली में होटल के अंदर हुए मामूली विवाद के चलते एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई। दो आरोपियों ने मिलकर पुलिसवाले पर १८ बार चाकू से हमला किया। इसमें घायल पुलिसकर्मी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। यह पूरी वारदात घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

होटल के बाहर हुई हत्या

- वारदात मंगलवार की रात सवा १२ बजे सांगली के विश्रामबाग मेंकुपवाड़ रोड स्थित होटल रत्ना डीलक्स में हुई। पुलिस ने बताया कि मूलरूप से बीड जिले का रहने

वाला समाधान मानटे(३०) मंगलवार रात होटल में खाना खाने गये थे। यहां शराब पीने के दौरान उनका दो ग्राहकों से विवाद हो गया। मामला मारपीट तक पहुंच गया। तीनों मारपीट करते हुए होटल से बाहर आ गए। बाहर आते ही एक आरोपी कार के अंदर रखा चाकू निकाल लाया और उसने लगातार १८ बार समाधान पर वार किए। इससे मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया।

वारदात के वक्त वर्दी में था पुलिसवाला

- समाधान साल २०१३ से सांगली पुलिस में ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट में कार्यरत था। उनका परिवार विश्रामबाग पुलिस लाइन में रहता है। वारदात के वक्त समाधान ने वर्दी पहनी हुई थी। घटना की जानकारी मिलते ही लोकल क्राइम ब्रांच, एंटी गुंडा स्क्वाड, संजयनगर, विश्रामबाग और सांगली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरे जिले की आउटर सीमा को सील कर आरोपियों की धड़पकड़ के प्रयास शुरू किए।

आरोपियों की पहचान हुई

- होटल के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपियों की तस्वीर कैद हो गई है। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपियों की पहचान हो गई है और वे जल्द गिरफ्त में होंगे। फिलहाल होटल के मैनेजर समेत वहां के चार कर्मचारियों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया है।

२३/०७/२०१८को पटेल बिल्डिंग, जोगेश्वरी फाटक के सामने की बडी गटर चोकप हुआ माननीय नगरसेविका शाहेदा हा. खान, कार्यसम्राट शाखाप्रमुख हारून खान साहबङ ईनके प्रयत्नो से यहां बडी गटरङ पे नया चेंबर का काम किया गया। ये काम माजी शाखाप्रमुख एकनाथ केरकर साहेब, उपशाखा प्रमुख राजू मोरे, शिवसैनिक केतन भाई के उपस्थिति मे हुआ।

संपादकीय...

तस्करों की 'राह' आसान

एक साल पहले जब देश भर में जीएसटी शुरू हुआ, तो ऑक्ट्रॉय बंद हो गया। मुंबई पुलिस का मानना है कि ऑक्ट्रॉय बंद होने की वजह से मुंबई में प्रतिबंधित गुटखा और ड्रग्स की तस्करी बढ़ी है। एक पुलिस अधिकारी ने एनबीटी से कहा कि ऑक्ट्रॉय के बहाने महाराष्ट्र के टोल नाकों पर अलग-अलग नगरपालिकाओं द्वारा ट्रकों की चेकिंग होती रहती थी। ट्रक मालिक और ट्रक ड्राइवर तब दोनों डरे रहते थे कि उनके ट्रकों में रखा अवैध सामान कभी भी पकड़ा जा सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब किसी खास टिप पर ही जांच एजेंसियों द्वारा ट्रकों की चेकिंग की जाती है। उसी में कई बार ड्रग्स या गुटखा मिलता है।

ऐसा ही करीब साढ़े १३ लाख रुपये कीमत का गुटखा दो दिन पहले साकीनाका के गोदामों से जब्त किया गया। डीसीपी नवीन चंद्र रेड्डी, सीनियर इंस्पेक्टर किशोर सावंत और अब्दुल रऊफ शेख की जांच में पता चला कि यह गुजरात से लाया गया था। महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, पर गुजरात में नहीं। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि सूरत से मुंबई में ट्रकों में कपड़ा आता रहता है। गुटखा के कारोबारी इन्हीं कपडों के बीच गुटखा भी रख देते हैं। कपड़ा तो कपड़ा बाजार में बाद में पहुंचता है। बीच रास्ते, गुटखे से भरे बैगों को ट्रकों से उतार दिया जाता है और फिर शहर के अलग-अलग गोदामों में रख दिया जाता है।

ट्रेनों से भी गुटखा मुंबई में अवैध रूप से पहुंच रहा है। इस अधिकारी के अनुसार, जब भी कोई मेल गाड़ी मुंबई में आती है, तो जिस स्टेशन पर उसका अगला स्टॉपेज होता है, उससे पहले उस गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। उसी दौरान गुटखा के अवैध बिजनेस से जुड़े लोग गाड़ी से गुटखे से भरा बैग बाहर ट्रैक पर फेंक देते हैं। उसके साथी ट्रैक पर पहले से खड़े रहते हैं। वे बैग को उठाते हैं और फिर अलग-अलग गोदामों में जाकर रख देते हैं। इन गोदामों से फिर मुंबई में पान की दुकानों में यह गुटखा पांच गुना ज्यादा कीमत पर बेचा जाता है।

खास बात यह है कि अवैध रूप से गुटखा का कारोबार करने के बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं होती। पुलिस जब्त गुटखे और आरोपी को एफडीए को सौंप देती है। एफडीए गुटखा अपने पास रख लेती है और आरोपी को नोटिस दे देती है। बाद में कोर्ट के जरिए आगे की कानूनी प्रक्रिया चलती है। इसमें इतने साल लग जाते हैं कि आरोपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह गुटखा दूसरे सामानों के साथ अवैध रूप से आ रहा है, उसी तरह ड्रग्स का भी कारोबार हो रहा है। कुछ दिनों पहले डीआरआई ने नागपुर में नारियल से भरे ट्रक में १० करोड़ रुपये कीमत का गांजा जब्त किया था। यह छत्तीसगढ़ से नक्सलियों द्वारा भेजा गया था।

सैफ अली खान ने किया 'नागा साधू' बनने का फैसला, बेलने होंगे ये पापड़

सैफ अली खान की वेब सीरीज फिल्म सैक्रेड गेम्स इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है। सैफ अली खान की बेहतरीन फिल्मों में से एक इस फिल्म के बाद सैफ ने एक और बड़ा प्रोजेक्ट साइन कर दिया है और अभी से इसकी तैयारी में लग गए हैं। अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में सैफ अली खान ने खुद बताया कि वो नागा साधु बनने जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से वह अपनी दाढ़ी और बाल भी बढ़ा रहे हैं। सैफ अपनी अगली फिल्म की तैयारी में लगे हुए हैं जिसका टाइटल हंटर हो सकता है। यह फिल्म १७८० के समय पर आधारित है और सैफ इस फिल्म में एक नागा साधु के रोल में नजर आएंगे।

सैफ ने कहा, 'ज्यादा दिमाग मत लगाइए, फिल्म में मैं कपड़े पहनता हूं हालांकि मुझे पहनने नहीं चाहिए क्योंकि नागा का मतलब नंगा होता है। फिल्म में मेरा कैरेक्टर एक असफल नागा साधु का है जो बदला लेना चाहता है। यह फिल्म एक ड्रामा है जो राजस्थान की पृष्ठभूमि पर आधारित है। मुझे इस रोल के लिए अपने कान भी छिदवाने पड़े जिसको लेकर पहले मैं थोड़ा चिंतित था। मेरे बाल काफी बड़े हो गए हैं। इस भीषण गर्मी में राजस्थान में शूटिंग करते वक्त मुझे काफी दिक्कत भी हुई। कभी-कभी तो बाल और मेकअप सेट करने में ४० मिनट से लेकर २ घंटे तक लग जाते थे।'

फिल्म में अपने रोल के बारे में बात करते हुए सैफ ने बताया कि फिल्म हंटर में उनका रोल ५० प्रतिशत तक फिल्माया जा चुका है। यह काफी अजीब था लेकिन अब यह जिन्दगी का हिस्सा बन चुका है। सैफ ने कहा, 'मैंने हमेशा महसूस किया है कि कोई है जो मुझे वो सबकुछ दे रहा है जो मैं डिजर्व भी नहीं करता। अपने इस रोल के लिए भी मैं बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहा हूं। यह वाकई में बहुत अच्छा अनुभव रहा। बाल और मेकअप बनाने में २ घंटे लगते थे, मुझे यह काफी हास्यास्पद लगता था, यह वेस्टर्न फिल्मों के कैरेक्टर की तरह लगता था जो दूसरे स्पेस में चले जाते हैं। इस शूट की वजह से मुझे राजस्थान के पुराने किले देखने का मौका भी मिला।' बता दें कि बीते दिनों सैफ की एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी, इसमें सैफ साधू बने नजर आ रहे थे। लेकिन सैफ के रोल को लेकर अब खुलासा हुआ है।

वहीं, अपनी वेब सीरीज पर बात करते हुए सैफ ने बताया कि, 'नेटफ्लिकस की इस वेब सीरीज को लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है। लोगों के इस प्यार से मोटीवेशन मिलता है कि आपके काम की सराहना हो रही है।

बिग बॉस' विनर शिल्पा शिंदे फिर से सलमान खान के साथ 'दस का दम' में नज़र आएँगी

'बिग बॉस ११' की विजेता और सुपरहिट धारावहिकों में काम करने वाली बहुमुखी प्रतिभाशाली अभिनेत्री शिल्पा शिंदे ने अभी हाल में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के सुपरहिट शो 'दस का दम' की शूटिंग में हिस्सा लिया।जिसके लिए उन्होंने रातभर शूटिंग किया और उनके साथ साउथ के फेमस स्टार कमल हासन,एक्टर करण पटेल ने भी इस शो में हिस्सा लिया,जोकि जल्द ही टेलीकास्ट होगा।'बिग बॉस ११' के बाद फिर से सलमान खान के साथ 'दस का दम' में काम किया।इसके बारे में शिल्पा शिंदे कहती है,'सलमान खान के साथ दूसरी बार काम करके काफी अच्छा लगा और कमल हासन के साथ काम करने का मौका भी मिला।जोकि मेरे लिए काफी यादगार पल रहेगा।दुनिया भर के दर्शकों को धन्यवाद देती हूँ, जिन लोगों ने मुझे और मेरा काम पसंद किया और 'बिग बॉस' बनाया था। मैं हमेशा अलग अलग तरह की भूमिकाएं करना चाहती हूँ और करती रहती हूँ।'

शाहिद के बाद टाइगर ने भी ख़रीदा नया आशियाना, जॉन से जुड़ा ये होम कनेक्शन

मुंबई. शाहिद कपूर ने हाल ही में मुंबई में अपना एक और नया आशियाना खरीद लिया. शाहिद के बाद अब इस एक्टर के बारे में भी खबर आ रही है कि उन्होंने भी मुंबई में एक नया घर ख़रीदा है.

वह एक्टर हैं टाइगर श्रॉफ. जी हां टाइगर श्रॉफ ने हाल ही में मुंबई में आठ बेडरूम का अपार्टमेंट खरीदा है. खास बात यह है कि उन्होंने अपने नए घर को लेने की प्लानिंग लंबे समय से कर रखी थी. बागी २ के हिट होने के बाद उन्होंने आख़िरकार अपनी यह ख्वाहिश भी पूरी कर ली लेकिन अभी वह फिलहाल इस घर में शिफ्ट नहीं हो रहे हैं. अगले साल तक वह शिफ्ट होंगे. खबर है कि टाइगर ने यह घर मुंबई के खार इलाके में खरीदा है. दिलचस्प बात यह है कि इस अपार्टमेंट के पूरे इंटीरियर का काम जॉन अब्राहम के भाई एलन कर रहे हैं. इसकी वजह यह है कि टाइगर को जॉन अब्राहम के घर का लुक काफी पसंद आया था और उसी वक़्त से उनके मन में यह बात थी कि जब वह अपना घर लेंगे तो इंटीरियर एलन से ही करवाएंगे. खास बात यह भी है कि टाइगर ने अपने इस नए आशियाने में खासतौर से जिम के लिए स्पेस लिया है. टाइगर के अपने पेरेंट्स से अलग रहने का निर्णय लेने की वजह यह थी कि अब धीरे-धीरे टाइगर का काम भी बढ़ता जा रहा है, साथ ही उन्हें अपने लिए अलग तरह के जिम की जरूरत थी, उन्हें अधिक स्पेस की जरूरत थी इसलिए उन्होंने नया घर लिया है.

नाचेला अड़बंगी भोला गाने का शुभमुहूर्त सम्पन्न

मुंबई से सटे मीरा रोड में गोयल फिल्म्स के भोलेनाथ पर बने अल्बम के गाणे की रिकॉर्डिंग का शुभमुहूरत किया गया।ये गीत भोजपुरी फिल्म स्टार अविनाश शाही के स्वर में गवाया गया है।गोयल फिल्म्स द्वारा नाचेला अड़बंगी भोला की रिकॉर्डिंग वी फ़िल्म स्टूडियो मे सम्पन्न हुई।इस शुभ अवसर पर डायरेक्टर राजू गोयल, सहियोगी संतोष प्रजापति, म्युझिक डायरेक्टर विजय नंदा, गीतकार जितेंद्र मिर्जापुरी, मशहूर गायक इंदरजीत पाली और आर पी न्यूज नेशन के संपादक राजेश पांडे मौजुद थे।

जैकलीन मैगजीन के कवर पेज पर

मुंबई। जैकलीन फर्नांडिस फिल्म इंडस्ट्री में न सिर्फ अपने अभिनय के लिए बल्कि अपने बेहतरीन डांस मूव्स व फिटनेस के लिए भी जानी जाती हैं। हाल ही में जैकलीन का नया खूबसूरत अंदाज एक मैगजीन के कवर पेज पर नजर आया।

जैकलीन फर्नांडिस ने मैगजीन के लिए स्पेशल पोज दिया है जिसमें वो सफ़ेद रंग के जम्पसूट में नजर आ रही हैं। इस कवर पेज को देखने पर पता चलता है कि, उन्होंने लाइट मेकअप किया है और कर्ली हेयर्स ने उनकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। हाल ही में यूएस और कनाडा में हुए दबंग रीलोडेड टूर की सफलता के बाद वे मुंबई लौटी हैं। फिल्मों की बात करें तो हालिया फिल्म रेस ३ में वो सलमान खान के साथ नजर आई थी। इससे पहले वे वरुण धवन और तापसी पन्नू के साथ जुड़वा २ में भी नजर आई थी। एक के बाद एक तीन हिट देने के बाद, जैकलीन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर अपनी अत्यधिक लोकप्रियता और फैनडम के साथ जनता जनार्दन की पसंदीदा अभिनेत्री बन गई है। अभिनेत्री की भारी लोकप्रियता के कारण, जैकलीन ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए एक प्रसिद्ध चेहरा बन गयी है। बात करें अगर सलमान खान के दबंग टूर की तो विदेश में अपनी परफॉर्मेंस से जैकलीन ने सबका खूब मनोरंजन किया था। खास बात यह रही कि, बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने अपने सिज़लिंग लुक और शानदार परफॉर्मेंस से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। पसंदीदा परफॉर्मेंस में जुम्मे की रात सॉन्ग पर दी गई परफॉर्मेंस शामिल थी। दबंग टूर अब खत्म हो चुका है लेकिन जैकलीन फर्नांडिस द्वारा सलमान खान के साथ स्टेज पर दी गई धमाकेदार परफॉर्मेंस अभी तक ऑडियंस के दिल और दिमाग पर छाई हुई है। जैकलीन की फरफॉर्मेंस के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस टूर के दौरान जैकलीन ने अपनी ही फिल्म के सुपरहिट सॉन्नस जैसे ऊंची है बिल्डिंग, हिरिये, जुम्मे की रात है पर परफॉर्मेंस देकर सबको अपनी दिवाना बना दिया। २१ दिनों तक चले दबंग टूर में जैकलीन ने विभिन्न देशों में बहुत से फिल्मी सॉन्नस पर परफॉर्म कर के दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था। खास बात यह रही कि, सलमान और जैकलीन स्टारर फिल्म किक का सुपरहिट सॉन्ग जुम्मे की रात पर परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस दौरान जैकलीन का ड्रेसअप भी अट्रेक्टिव था।

शाहरुख ख़ान की 'Zero' की मुश्किल बढ़ाएगी जेम्स कैमरून की 'Alita', जानिए कौन है एलिटा

मुंबई। दिसम्बर में क्रिसमस के मौक़े पर शाह रुख ख़ान की फ़िल्म 'ज़ीरो' रिलीज़ होने वाली है। 'ज़ीरो' साल २०१८ की मोस्ट एंटिसिपेटेड फ़िल्मों में शामिल है, लेकिन 'ज़ीरो' के लिए बॉक्स ऑफ़िस पर मुश्किलें बढ़ाने आ रही है 'एलिटा- बैटल एंजिल'। इस हॉलीवुड फ़िल्म के पीछे 'अवतार' जैसी फ़िल्म बनाने वाले विख्यात फ़िल्मकार जेम्स कैमरून हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 'ज़ीरो' के लिए यह मुक़ाबला कितना कड़ा होने वाला है।

आनंद एल रॉय निर्देशित 'ज़ीरो' में शाह रुख ख़ान एक बौने का किरदार निभा रहे हैं। फ़िल्म की कहानी को लेकर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है, मगर माना जा रहा है कि यह एक साइंस फिक्शन फ़िल्म हो सकती है। कटरीना कैफ़ और अनुष्का शर्मा फीमेल लीड में हैं। 'ज़ीरो' का टीज़र आप सभी देख चुके होंगे, जो काफ़ी दिलचस्प लग रहा है। 'ज़ीरो' के साथ 'एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' रिलीज़ हो रही है, जो पॉलिटिकल थ्रिलर है और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल को दिखाती है। हालांकि इस फ़िल्म से 'ज़ीरो' को कोई खतरा नहीं है। मगर, असली टक्कर हॉलीवुड से मिलने वाली है, क्योंकि जेम्स कैमरून की 'एलिटा- बैटल एंजिल' २१ दिसंबर को रिलीज़ के लिए निर्धारित है। 'टाइटैनिक' और 'अवतार' जैसी फ़िल्में दुनिया को देने वाले जेम्स कैमरून की फ़िल्मों का इंतज़ार दुनियाभर के सिनेप्रेमियों को रहता है।

'एलिटा' को जेम्स ने डायरेक्ट नहीं किया है, बल्कि वो इसके को-प्रोड्यूसर हैं। फ़िल्म को रॉबर्ट रॉड्रिग्ज़ ने डायरेक्ट किया है। 'एलिटा' साइंस फिक्शन फ़िल्म है, जिसकी ख़ासियत यह है कि इसकी हीरोइन एक सायबोर्ग है। एकेडमी अवॉर्ड विनर क्रिस्टोफर वॉल्टज़ फ़िल्म में अहम रोल में नज़र आएंगे। यह फ़िल्म पहले जुलाई में रिलीज़ होने वाली थी, मगर जेम्स के अवतार सीक्वल्स में बिज़ी होने की वजह से रिलीज़ दिसम्बर तक खिसका दी गयी। 'एलिटा' का ट्रेलर आप नीचे देख सकते हैं। 'एलिटा' के अलावा 'ज़ीरो' को एक और हॉलीवुड फ़िल्म से ख़तरा है, जो दिसम्बर में क्रिसमस के मौक़े पर रिलीज़ हो रही है। यह फ़िल्म है- Bumblebee~ यह ट्रांस्फॉर्मर्स सीरीज़ की छठी फ़िल्म है। हालांकि कहानी के हिसाब से यह इस सीरीज़ की पहली फ़िल्म 'ट्रांस्फॉर्मर्स' का प्रीक्वल है। 'बम्बलबी' एक ऑटोबॉट है, जो एलियन है। धरती पर आने वाला यह पहला ऑटोबॉट है। फ़िल्म को ट्रेविस नाइट ने डायरेक्ट किया है, जबकि 'ट्रांस्फॉर्मर्स' सीरीज़ की पांचों फ़िल्मों के निर्देशक रहे माइकल बे इसे को-प्रोड्यूस कर रहे हैं। 'बम्बलबी' में रैस्टर जॉन सीना भी एक अहम भूमिका में नज़र आएंगे। इस साल अभी तक जिस रफ़्तार से हॉलीवुड फ़िल्मों को घरेलू बॉक्स ऑफ़िस पर रिस्पांस मिला है, उसके मद्देनज़र ये दोनों फ़िल्में 'ज़ीरो' की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस साल अभी तक ९ बड़ी हॉलीवुड फ़िल्में रिलीज़ हुई हैं, जिनमें से अधिकतर ने बॉक्स ऑफ़िस पर अच्छा प्रदर्शन किया है। पहले हाफ़ की सबसे सफल हॉलीवुड फ़िल्म 'एवेंजर्स इनफिनिटी वॉर' है, जिसने २२२.६९ करोड़ का कलेक्शन किया। भारत में यह किसी हॉलीवुड फ़िल्म की सबसे अधिक कमाई है।

'जुरासिक वर्ल्ड फॉलेन किंगडम' ने भारतीय बॉक्स ऑफ़िस पर १२२ करोड़ जमा किया है। ४८.१८ करोड़ का कलेक्शन करके 'डेडपूल२' प्लस में रही। ड्वेन जॉनसन की 'रैम्पेज' ने २६.५० करोड़ का बिज़नेस किया है। 'ब्लैक पैंथर' ३८.१० जमा करके फ़ायदे में रही। हालांकि क्रिटिक्स की पसंद रही 'द पोस्ट' महज़ ४.१७ करोड़ का कलेक्शन ही कर सकी और फ्लॉप रही। हाल ही में रिलीज़ हुईं 'इनक्रेडिबल्स २', 'एंटमैन एंड द वास्प' और 'स्कायस्क्रैपर' भी ठीकठाक चली हैं। 'इनक्रेडिबल्स २' ने लगभग ३२ करोड़ जमा किये, जबकि 'एंटमैन एंड द वास्प' ३० करोड़ से अधिक जमा कर चुकी है।

श्रद्धा ने अपने इंस्टाग्राम से क्यों हटाए सभी पोस्ट

बॉलिवुड के कई सितारे सोशल मीडिया पर काफी ऐक्टिव रहते हैं। अपने फैन्स से जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया ही उनका एकमात्र जरिया है। मगर हाल ही में ऐक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने अचानक ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी सारी पोस्ट डिलीट कर डाली। श्रद्धा के इंस्टाग्राम पर जब किसी को कोई पोस्ट नहीं मिली तो हर कोई हैरान रह गया। बता दें, श्रद्धा बहुत जल्द शाहिद कपूर और यामी गौतम के साथ फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू में नजर आएंगी। इसकी शूटिंग उन्होंने हाल ही में खत्म की है। हाल ही में अपने परिवार के साथ वेकशन से लौटीं श्रद्धा वापस शहर आ चुकी हैं और अपनी अपकमिंग फिल्म स्त्री के प्रमोशन में जुट गई हैं। इसके लिए श्रद्धा ने अपनी सभी पुरानी पोस्ट को डिलीट कर सिर्फ तीन पोस्ट डाले, जिनमें लिखा था कि मर्द को दर्द होगा। दरअसल यह इस फिल्म की टैगलाइन है। हालांकि, इसे लेकर पहले यह खबर उड़ी की श्रद्धा का अकाउंट हैक कर लिया गया है। मगर अब पूरी सच्चाई सामने आई है। खबरों के मुताबिक, श्रद्धा ने ऐसा अपनी आनेवाली फिल्म स्त्री के प्रमोशन के लिए किया है। दरअसल श्रद्धा ने अपनी पुरानी पोस्ट को डिलीट कर नए सिरे से इंस्टग्राम पर आनेवाले पोस्ट को फिल्म स्त्री को डेडिकेट किया है।

बता दें, श्रद्धा जल्द ही हॉरर-कॉमिडी फिल्म स्त्री में राजकुमार राव के साथ नजर आएंगी। यह फिल्म ३१ अगस्त को रिलीज होगी। इस फिल्म को अमर कौशिक ने डायरेक्ट किया है। जिसमें भोपाल के एक छोटे से गांव चंदेरी की कहानी बयां की गई है।

कैसे थमेंगे बाल अपराध

किसी बच्चे द्वारा कोई कानून-विरोधी या समाज-विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं। कानूनी दृष्टिकोण से बाल अपराध आठ वर्ष से अधिक तथा सोलह वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कानून-विरोधी कार्य है जिसे कानूनी कार्यवाई के लिए किशोर न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। बाल अपराध में बालकों के असामाजिक व्यवहारों को लिया जाता है अथवा बालकों के ऐसे व्यवहारों का जो लोक कल्याण की दृष्टि से अहितकर होते हैं।

जोर सजा की कठोरता पर नहीं, सुधार पर होना चाहिए। इसका अर्थ यह भी है कि बाल अपराध की जड़ों का उन्मूलन किया जाए। गरीबी, पारिवारिक-सामाजिक विघटन, पोर्नोग्राफी, बाल श्रम तथा अन्य प्रकार से होने वाले बच्चों के शोषण-उत्पीड़न से निपटे बगैर बाल अपराध को खत्म करने की रणनीति बहुत कारगर नहीं हो सकती।

भारतीय समाज में बाल अपराध की दर दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। इसका कारण है कि वर्तमान समय में नगरीकरण तथा औद्योगीकरण की प्रक्रिया ने एक ऐसे वातावरण का सृजन किया है जिसमें अधिकांश परिवार बच्चों पर नियंत्रण रखने में असफल सिद्ध हो रहे हैं। वैयक्तिक स्वंतत्रता में वृद्धि के कारण नैतिक मूल्य बिखरने लगे हैं, इसके साथ ही अत्यधिक प्रतिस्पर्धा ने बालकों में विचलन पैदा किया है। कंप्यूटर और इंटरनेट की उपलब्धता ने इन्हें समाज से अलग कर दिया है। फलस्वरूप वे अवसाद के शिकार होकर अपराधो में लिप्त हो रहे हैं। जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून-विरोधी या समाज-विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं। कानूनी दृष्टिकोण से बाल अपराध आठ वर्ष से अधिक तथा सोलह वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कानून-विरोधी कार्य है जिसे कानूनी कार्यवाई के लिए किशोर न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। बाल अपराध में बालकों के असामाजिक व्यवहारों को लिया जाता है अथवा बालकों के ऐसे व्यवहारों का जो लोक कल्याण की दृष्टि से अहितकर होते हैं। ऐसे कृत्यों को करने वाला या उनमें शामिल होने वाला किशोर बाल-अपराधी कहलाता है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बाल अपराध के लिए आयु को अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता, क्योंकि व्यक्ति की मानसिक व सामाजिक परिपक्वता सदा ही आयु से प्रभावित नहीं होती। अत: कुछ विद्वान, बालक के प्रकट व्यवहार व प्रवृत्ति को बाल अपराध के लिए आधार मानते हैं। जैसे आवारागर्दी करना, स्कूल से अनुपस्थित रहना, माता-पिता तथा संरक्षकों की आज्ञा न मानना, अश्लील भाषा का प्रयोग करना, चरित्रहीन व्यक्तियों से संपर्क रखना आदि। लेकिन जब तक कोई वैध तरीका सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं कर लिया जाता तब तक आयु को ही बाल अपराध का निर्धारक आधार माना जाएगा। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक बाल अपराधी वह व्यक्ति है जिसके व्यवहार को समाज अपने लिए हानिकारक समझता है और इसलिए वह उसके द्वारा निषिद्ध होता है।

किशोरावस्था में व्यक्तित्व के निर्माण तथा व्यवहार के निर्धारण में वातावरण का बहुत हाथ होता है; अत: अपने उचित या अनुचित व्यवहार के लिए किशोर बालक स्वयं नहीं बल्कि उसका वातावरण उत्तरदायी होता है। इस कारण बहुत सारे देशों में किशोर अपराधों की बाबत अलग न्यायविधान है। भारत में भी ऐसी व्यवस्था चली आ रही है। उनके न्यायाधीश व अन्य न्यायाधिकारी बाल मनोविज्ञान के जानकार होते हैं। वहां बाल-अपराधियों को दंड नहीं दिया जाता, बल्कि उनके जीवनवृत्त के आधार पर उनका तथा उनके वातावरण का अध्ययन करके वातावरण में मौजूद अपराधों को जन्म देने वाले तत्त्वों में सुधार करके बच्चों के सुधार का प्रयत्न किया जाता है। अपराधी बच्चों के प्रति सहानुभूति, प्रेम, दया और संवेदना का व्यवहार किया जाता है।

संपूर्ण भारत के लिए सन १८७६ में सुधारालय स्कूल अधिनियम बना, जिसमें १८९७ में संशोधन किया गया था। यह अधिनियम भारत के अन्य स्थानों पर पंद्रह तथा मुंबई में सोलह वर्ष के बच्चों पर लागू होता था। इस कानून में बाल-अपराधियों को औद्योगिक प्रशिक्षण देने की बात भी कही गई थी। अखिल भारतीय स्तर लागू होने वाले कानून के स्थान पर अलग-अलग प्रांत में बाल अधिनियम बने। सन १९२० में मद्रास, बंगाल, बंबई, दिल्ली, पंजाब में तथा १९४९ में उत्तर प्रदेश में और १९७० में राजस्थान में बाल अधिनियम बने। बाल अधिनियमों में समाज-विरोधी व्यवहार करने वाले बालकों को प्रशिक्षण देने तथा आपराधिक कुप्रभाव से बचाने के प्रावधान किए गए, उनके लिए दंड के स्थान पर सुधार को प्राथमिकता देना स्वीकार किया गया।

हमारे देश में बच्चों द्वारा किए जाने वाले अपराधों पर नियंत्रण के लिए विशेष न्यायिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की खातिर संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ किशोर न्याय अधिनियम, १९८६ व संशोधित, २००० प्रचलन में है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिसंबर १९९६ के बाल श्रम से संबंधित निर्णय में बाल श्रम के लिए गरीबी को उत्तरदायी मानते हुए कहा था कि जब तक परिवार के लिए आय की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाती, तब तक बाल श्रम से निजात पाना मुश्किल है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद पैंतालीस के तहत २००३ में ९३वें संविधान संशोधन किया गया, जिसमें श्रम के घंटे कम कर बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने का प्रावधान किया गया। यही नहीं, उनके पुनर्वास के लिए विशेष विद्यालयों व पुनर्वास केंद्रों की व्यवस्था की गई है, जहां 'रोजगार' से हटाए गए बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुपूरक पोषाहार आदि की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। सरकारी प्रयासों के अलावा, बाल अपराध को रोकने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाकर भी इस समस्या से निजात पाई जा सकती है।

इस समय भारत के सभी राज्यों में किशोर न्यायालय हैं। किशोर न्यायालय में एक प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, आरोपी बालक, माता-पिता, प्रोबेशन अधिकारी, साधारण पोशाक में पुलिसकर्मी उपस्थित रहते हैं। किशोर न्यायालय का वातावरण इस प्रकार का होता है कि बच्चे के मन सेकोर्ट का खौफ दूर हो जाए। ज्यों ही कोई बालक अपराध करता है तो पहले उसे रिमांड क्षेत्र में भेजा जाता है और चौबीस घंटों के भीतर उसे किशोर न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। उसकी सुनवाई के समय उस व्यक्ति को भी बुलाया जाता है जिसके प्रति बालक ने अपराध किया हो। सुनवाई के बाद आरोपी बालक को चेतावनी देकर, जुर्माना करके या माता-पिता से बांड भरवा कर उन्हें सौंप दिया जाता है अथवा उसें परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाता है या किसी सुधार संस्था, मान्यता प्राप्त विद्यालय के परिवीक्षा होस्टेल में रख दिया जाता है।

भारत में जुर्म में संलिप्त नाबालिगों की संख्या में निरंतर हो रही बढ़ोतरी के कारण किशोर न्याय अधिनियम में बदलाव पर विचार किया गया। भारत में जहां साल २०१२ में २७ हजार ९३६ किशोर आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे वहीं साल २०१३ में यह संख्या बढ़ कर ३१ हजार ७२५ तक पहुंच गई और २०१४ में यह आंकड़ा ३३ हजार ५२६ तक जा पहुंचा। दिल्ली में दिसंबर २०१२ में हुए सामूहिक बलात्कार कांड के बाद देश में अपराधिक मामलों में नाबालिगों की आयु को लेकर खासा विवाद उत्पन्न हुआ था। इसके पीछे मुख्य कारण इस घिनौने और निर्मम हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों में से एक का नाबालिगहोना था। भारत में इस संदर्भ में नाबालिग आयु अठारह वर्ष से घटा कर चौदह वर्ष करने की पुरजोर मांग हुई थी, जिससे जघन्य अपराधों में संलिप्त नाबालिगों पर वयस्क कानून के अंतर्गत सजा हो सके। देश भर में धरनों और प्रदर्शनों के दौर के बाद, पिछले सत्र में देश की संसद में लंबित पड़ा किशोर न्याय बिल अंतत: पास कर दिया गया और नाबालिग आयु को पुन: परिभाषित कर सोलह वर्ष कर दिया गया। भारत में १५ जनवरी, २०१६ से नया किशोर न्याय अधिनियम २०१५ लागू हो गया है।

किशोर न्याय अपराध कानून के तहत किशोर आरोपी की उम्र सीमा के निर्धारण को लेकर चली बहस में यह तर्क बहुत बार दोहराया गया कि उम्र सीमा घटा देने से संगीन अपराधों में किशोरों के लिप्त की प्रवृत्ति पर अंकुश लग सकेगा। लेकिन इस बहस में किशोर अपराध-न्याय से जुड़ी कई अहम बातें नजरअंदाज कर दी गईं। अठारह साल की उम्र सीमा बहुत सोच-समझ कर तय की गई थी। इसके पीछे दो मकसद मुख्य थे। एक, आरोपी का सुधार, और दूसरा, सुधारगृह से वापसी के बाद नया जीवन शुरू करने की भरपूर गुंजाइश देना।

उम्र सीमा घटाने का मतलब है कि बहुत-से आरोपी, जो पहले किशोर न्यायालय में पेश होते, अब सामान्य अदालत में पेश होंगे और उन पर उन्हीं धाराओं के तहत मुकदमे चलेंगे जो वयस्कों पर लागू होते हैं। ऐसे में दोषी सिद्ध होने पर उन्हें दी जाने वाली सजा की अवधि (पहले की तुलना में) काफी अधिक होगी। इसका अर्थ है कि पहले से जहां अधिक से अधिक तीन साल के बाद आरोपी अपने घर-परिवार में लौट आता था, वहीं अब ज्यादा साल गुजारने के बाद लौटेगा, और उसके सुधरने की संभावना पहले से कम होगी तथा नए सिरे से स्वावलंबी होने के प्रयास बहुत मुश्किल हो जाएंगे।

इसलिए जोर सजा की कठोरता पर नहीं, सुधार पर होना चाहिए। इसका अर्थ यह भी है कि बाल अपराध की जड़ों का उन्मूलन किया जाए। गरीबी, पारिवारिक-सामाजिक विघटन, पोर्नोग्राफी, बाल श्रम तथा अन्य प्रकार से होने वाले बच्चों के शोषण-उत्पीड़न से निपटे बगैर बाल अपराध को खत्म करने की रणनीति बहुत कारगर नहीं हो सकती। यह अफसोस की बात है कि इन तकाजों को नजरअंदाज करके सिर्फ कानून को और कड़ा करने तथा सजा की सख्ती पर जोर देने का रुझान बढ़ता गया है।

विभिन्न देशों की भांति भारत में भी बाल अपराधियों को सुधारने के लिए प्रयास किए गए हैं और बाल अपराध की पुनरावृत्ति में कमी आई है। फिर भी इन उपायों में अभी कुछ कमियां हैं जिन्हें दूर करना आवश्यक है। बालक अपराध की ओर उन्मुख न हो, इसके लिए आवश्यक है कि बालकों को स्वस्थ मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराए जाएं, अश्लील साहित्य व दोषपूर्ण चलचित्रों पर रोक लगाई जाए, बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने में माता-पिता की मदद करने के लिए बाल सलाकार केंद्र गठित किए जाएं तथा संबंधित कार्मिकों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए। बाल अपराध की रोकथाम के लिए सरकारी एजेंसियों, शैक्षिक संस्थाओं, पुलिस, न्यायपालिका, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा स्वैच्छिक संगठनों के बीच तालमेल की आवश्यकता है।

सेन्ट मेरिज हायस्कूल (मिरा) में आयोजित पर्यावरण दिवस

संवाददाता

मुंबई : ५ जून पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर सेन्ट मेरिज हायस्कूल (मिरा) में दिनांक २१ जुलाई २०१८ शनिवार के दिन एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर प्रमुख तथा सम्माननीय अतिथियों के रूप में महेंद्र पांडे तथा एनवायरमेंटलिस्ट श्रीमती शर्मिला पुंडे को निमंत्रित किया गया था। पर्यावरण संबंधित विविध कार्यक्रम ने इस अवसर पर चार चांद लगा दिया। उपस्थित अतिथियों ने छात्रों को पर्यावरण विषयक मार्गदर्शन किया। चेयरमैन के इच वन प्लांट वन इस ध्येय को साकार करने के लिए पाठशाला के परिवेश में अतिथियों द्वारा वृक्षारोपण किया। इसके साथ मिरा गांव के विविध भागों में पाठशाला के छात्रों द्वारा वृक्षारोपण किया। इस प्रकार बड़े प्रसन्नतापूर्वक वातावरण में यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए झेवियर्स ग्रुप ऑफ स्कूल के चेयरमैन सर डॉ. ए। एफ. पिंटो, मैनेजिंग डायरेक्टर मैडम ग्रेस पिंटो की प्रेरणा महत्वपूर्ण रही। यह जानकारी सेन्ट मेरिज हायस्कूल (मिरा) की शिक्षिका श्रीमती सावित्री दुबे ने दी है।

चोरों के टारगेट पर थे तीर्थ यात्री, पुलिस ने दबोचा

मुंबई, रेलवे पुलिस ने लोकल में सफर करने वाले यात्रियों के कीमती सामान चोरी करने वाले एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो हरियाणा से मुंबई चोरी करने आया था। मुंबई के दादर और पनवेल में दो चैन चोरी करने के बाद उनका अगला टारगेट पंढरपुर तीर्थयात्रा पर आनेवाले श्रद्धालु थे, लेकिन जब तक वह अपने मंसूबों में कामयाब उससे पहले ही वह एक नाकाबंदी में पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जीआरपी रेलवे पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस गैंग में कुल सात सदस्य है। इनमें तीन महिला और चार पुरुष हैं। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए सारे आरोपी रिश्तेदार हैं। पश्चिम रेलवे जीआरपी के डीसीपी पुरुषोत्तम कराड ने बताया कि पकड़े गए गैंग ने पनवेल और दादर में चैन स्नैचिंग की थी। यह शिकायत सामने आने पर जब हमने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि दोनों जगह पर चेन चोरी करने का तरीका और चोरी करने वालों का शक्ल भी एक जैसी लग रही थी।

पूछताछ मे पता चला है कि दो चेन चोरी करने के बाद सारे आरोपी पंढरपुर के लिए निकले थे। इन्होंने हरियाणा से ९ रुपये प्रति किलोमीटर की दर से मारुति ईको कार किराए पर ली थी। तीर्थयात्रा में जाने ने पहले इन्होंने हाजीअली बाबा के दर्शन भी किए थे। कराड का कहना है कि जब सूत्रों से पता चलाकि वह श्रद्धालुओं का सामान चोरी करने के लिए पंढरपुर तीर्थयात्रा पर गए हैं, तो पुलिस ने इसकी सूचना पंढरपुर से पहले करकम स्थानीय पुलिस को दे दी और नाकाबंदी के दौरान सभी को दबोच लिया गया। सभी आरोपियों को २७ जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

४८ घंटे में सुलझी ४२ लाख के सोने की लूट की गुत्थी, चोर-चोर चिल्लाकर लूटे गहने

मुंबई : सुरक्षा के तमाम हथकंडे अपनाने के बाद उन्होंने सोने की लूट की घटना को अंजाम दिया था, मगर तीसरी आंख ने उन लुटेरों के अरमानों पर पानी फेर दिया। परिणामस्वरूप सभी ९ आरोपी एक के बाद एक जोन ११ पुलिस की गिरफ्त में आते गए और महज ४८ घंटे में अंदर ४२ लाख रुपये से अधिक मूल्य के १४०२ ग्राम सोने की लूट घटना अपने आप सुलझती गई। कार्रवाई को नॉर्थ रीजन के एडिशनल सीपी राजेश प्रधान और जोन ११ के डीसीपी विक्रम देशमाने के मार्गदर्शन में जोन-११ पुलिस ने अंजाम दिया। डीसीपी देशमाने ने बताया कि सभी ९ आरोपियों के खिलाफ एमएचबी पुलिस ने मामला दर्ज बोरिवली कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें २४ जुलाई तक पुलिस हिरासत मिली है। कुछ और आरोपी वांछित हैं। एक को छोड़कर सभी पहली बार लूट की घटना को अंजाम दिए हैं।

पुलिस के अनुसार, १८ जुलाई की शाम सवा नौ बजे पीड़ित सोना पॉलिश कराने के लिए दहिसर स्थित कारखाने में कच्चा माल (सोना) लेकर जा रहा था। दहिसर स्टेशन के करीब ४ लोग आए और वे पीड़ित को 'चोर चोर' कहकर घेर लिए। उस दौरान मौका देखकर उनमें से एक आरोपी ने पीड़ित के हाथ से कच्चा सोने वाला बैग छीनकर फरार हो गया।

छात्रा की आपबीती : वॉशरूम, ऑफिस और क्लासरूम तक में हुआ दुष्कर्म

वॉशरूम, ऑफिस और क्लास रूम तक पीड़िता हैवानियत की शिकार हुई। गुरु-शिष्या के रिश्ते को कलंकित करने वाली हरकतों का खुलासा छात्रा द्वारा की गयी एफआईआर में हुआ है। प्राचार्य की हरकतों की जानकारी पीड़ित छात्रा ने पुलिस को दी। छात्रा ने कहा है कि जान मारने की धमकी देकर प्राचार्य ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मेरे साथ दुष्कर्म किया। छात्रा ने एफआईआर में कहा है कि-छह महीने पहले मेरे साथ पढ़ने वाले तीन छात्रों ने वॉशरूम में चाकू दिखा दुष्कर्म किया। वह खून से लथपथ हो गयी। उसके बाद तीनों स्कूल से भाग गये। मैं रोते हुए वॉशरूम से बाहर निकली तो प्रिंसिपल ने मुझे दिखा। उन्होंने बुलाकर पूछा तो मैंने सरी बात बतायी और कपड़े में लगा खून को दिखाया। तब प्रिंसिपल ने वापस वॉशरूम में ले जाकर यह बात किसी अन्य से नहीं कहने की चेतावनी दी और कहा कि बताने पर जान मार देंगे। उन्होंने मेरे कपड़े साफ करवाये और घर भेज दिया। करीब दस दिनों बाद स्कूल गयी तो प्रिंसिपल ने छुट्टी के बाद मुझे रोका और ऑफिस में बुलाकर ले गये। फिर बेंच पर मेरे साथ ऑफिस में दुष्कर्म किया। दस-बारह दिनों बाद स्कूल के दो शिक्षक व प्रिंसिपल मेरे साथ ऑफिस में भी दुष्कर्म किये। इसके बाद वे लोग छुट्टी के बाद प्राय: रोककर यौन शोषण करने लगे। इनके अलावा मेरे स्कूल के एक दर्जन से अधिक छात्रों ने दुष्कर्म किया। ४ जुलाई को प्रार्थना के बाद पानी पीने गयी तो वॉशरूम में दुष्कर्म किया गया। फिर ५ जुलाई को सुबह आठ बजे सभी लड़कों ने मेरे साथ मारपीट की और सामूहिक दुष्कर्म किया। मैं दर्द से बेचैन थी, इसलिए घर आकर मां से पूछने पर सारी बातें बता दी।

लेस्बियन ने साथी पर लगाया धोखा देने का आरोप, मिली अग्रिम जमानत

मुंबई, मुंबई उच्च न्यायालय ने शहर की एक महिला को अग्रिम जमानत दे दी है। उस महिला पर उसकी समलैंगिक साथी ने आपराधिक विश्वासघात और एससी-एसटी अधिनियम के तहत आरोप लगाए थे। पिछले सप्ताह दिए गए एक फैसले में न्यायमूर्ति एएम बदर ने महिला को अग्रिम जमानत दे दी थी। पिछले साल निचली अदालत ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर की गई उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद महिला ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। बदर ने कहा कि अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखनेवाली शिकायतकर्ता इस बात को स्थापित करने में नाकामयाब रही कि याचिकाकर्ता महिला ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार की रोकथाम) अधिनियम के तहत कोई अपराध किया है। विश्वासघात के आरोपों के संबंध में शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया था कि उसके साथ संबंध में होने के बावजूद वह अपने पति और अन्य लोगों के साथ 'यौन संबंध' कायम रखे हुए है।

हालांकि, न्यायाधीश बदर ने आरोप पर गौर करते हुए कहा कि आपराधिक विश्वासघात के आरोप संदिग्ध हैं, क्योंकि इन दोनों के संबंधों की वैधता पर उच्च न्यायालय अग्रिम जमानत के आवेदन पर सुनवाई के दौरान विचार नहीं कर सकता है।

याचिका के अनुसार, महिला और शिकायतकर्ता महिला १९९७ से आपस में मित्र हैं। तभी से दोनों एक-दूसरे के प्रेम में थीं और उन दोनों में यौन संबंध भी बनने लगे थे। लेकिन दिसंबर, २०१६ में कुछ कारणों से शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक पुलिस शिकायत दर्ज कराई और उस पर आपराधिक विश्वास का आरोप लगाया। उसने एफआईआर में आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने उसके साथ धोखाधड़ी की है, क्योंकि उसने अपने पति को तलाक देने का जो वादा किया था, वह पूरा नहीं किया है।

फरवरी, २०१७ में शिकायतकर्ता ने एक और एफआईआर याचिकाकर्ता के विरुद्ध दायर की और आरोप लगाया कि उसने उसे अपने नाम से पुकारते हुए उसकी जाति पर अपशब्द कहे, जो एससी-एसटी ऐक्ट के तहत अपराध है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह याचिकाकर्ता के घर पहली एफआईआर के बाद गई थी और उससे अपनी सोने की जूलरी और ६ ड्रेस लौटाने को कहा था। उस समय याचिकाकर्ता का पति उस पर चिल्लाया और उसे अपने घर से बाहर जाने को कहा।

सेवा ना करने पर
बेटे से प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं माता-पिता - हाई कोर्ट

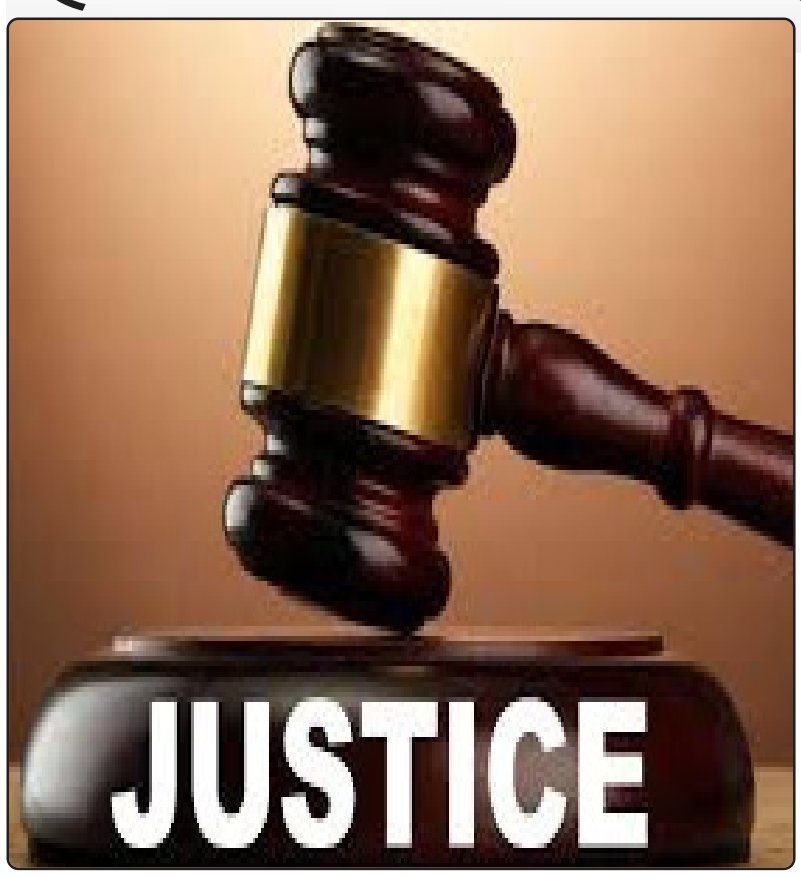

बॉम्बे हाई कोर्ट ने पैतृक संपत्ति को लेकर मंगलवार को बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई बेटा अपने बुजुर्ग माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है या उनकी ठीक से देखभाल नहीं करता तो वह अपने बेटे को दी गई अपनी संपत्ति का हिस्सा वापस ले सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव के लिए विशेष कानून का हवाला देते हुए जस्टिस रणजीत मोरे और अनुजा प्रभुदेसाई ने एक ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा। दरअसल ट्रिब्यूनल ने बुजुर्ग माता-पिता के अनुरोध पर बेटे-बहू को गिफ्ट की गई प्रॉपर्टी की डीड कैंसल कर दी थी। बेटे-बहू ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। जिसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह फैसल सुनाया है। यह मामला अंधेरी के एक सीनियर सिटिजन कपल का है। उन्होंने अपने बेटे को एक गिफ्ट डीड देते हुए फ्लैट का पचास फीसदी हिस्सा उसके नाम कर दिया। लेकिन ऐसा होने के बाद बेटे और उसकी पत्नी ने उनको सताना शुरू कर दिया। बेटे बहू से परेशान बुजुर्ग ट्राइब्यूनल पहुंचे और गिफ्ट डीड कैंसल करने की मांग की। ट्रिब्यूनल ने उनके हक में फैसला सुनाया जिसके खिलाफ बेटा व उसकी पत्नी ने हाई कोर्ट में अपील की। बेंच ने कहा कि पैरंट्स ने वह गिफ्ट अपने बेटे व उसकी पत्नी के अनुरोध पर इसलिए दी थी कि बुढ़ापे में वो लोग उनकी देखभाल करेंगे। लेकिन बेटे और बहू ने दूसरी पत्नी की वजह से ऐसा किया नहीं। इन हालात में हमें ट्रिब्यूनल के फैसले में कोई गलती नजर नहीं आती।

क्या है स्पेशल ऐक्ट

पैरंट्स और सीनियर सिटिजन कल्याण और देखभाल ऐक्ट २००७ में कहा गया है कि बच्चों की यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वह अपने बुजुर्ग मां-बाप की देखभाल करें। उनको अकेला छोड़ना या देखभाल न करना अपराध है। ऐसे बुजुर्ग पैरंट्स जिनकी उम्र ६० साल से ऊपर है और वो अपनी देखभाल नहीं कर सकते, वह अपने बच्चों से मेंटेनैंस मांग सकते हैं। इनमें जैविक दादा-दादी भी शामिल हैं। स्पेशल ट्राइब्यूनल ऐसे बुजुर्गों को १० हजार रुपये का गुजारा भत्ता देने का आदेश दे सकता है। जिन बुजुर्ग पैरंट्स से कोई औलाद नहीं है, ऐसे में उनकी प्रॉपर्टी लेने वाले या संभालने वाले या उनकी मौत के बाद जिन्हें प्रॉपर्टी मिलेगी, उनसे गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। बुजुर्ग पैरंट्स को गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी बालिग बच्चों, नाती-पोतों की है। अगर किसी ने कानून का पालन नहीं किया तो उसे तीन महीने की सजा हो सकती है।

लिफ्ट के बहाने टीवी एंकर से की लूटपाट
कार में बिठाकर चिपका दी बंदूक
कलंबोली पुलिस ने किया मामला दर्ज

नवी मुंबईः नवी मुंबई में एक टीवी एंकर से लूटपाट हुई है। एक मराठी चैनल के एंकर गिरिश निकम से चार लोगों ने बंदूक दिखाकर सोमवार रात लूटपाट की। एक प्राइवेट कार में मौजूद चार लोगों ने पुणे से खारगढ़ के लिए लिफ्ट दी। रास्ते में कार सवार युवकों ने बंदूक के दम पर एंकर से लूटपाट की। लूटेरों ने एंकर का डेबिट कार्ड इस्तेमाल करके के ४१ हजार रुपए एटीएम से निकाले, साथ ही उसकी गोल्ड चेन भी छीन ली। इसके बाद उन्होंने एंकर को कलमबोली के बाद कार से बाहर फेंक दिया। निकम ने कलमबोली पुलिस स्टेशन में अपने साथ हुई लूटपाट की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आईपीसी की आर्म्स एक्ट धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जिसके बाद पुलिस ने ये मामला स्वारगेट पुलिस स्टेशन, पुणे में ट्रांसफर

कर दिया है। मामले की जांच के लिए पुणे और नवी मुंबई पुलिस एक पैनल का गठन करेगी। पत्रकार से बातचीत में निकाम ने बताया कि वह स्वारगेट बस डिपो पर बस का इंतजार कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति वहां आया और उसने कहा कि वह उन्हें २५० रुपए में खारगढ़ छोड़ देगा। उन्होंने बताया कि इसके बाद वह कार की पिछली सीट पर बैठ गए। जहां पहले से ही दो व्यक्ति मौजूद थे। निकाम ने बताया कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर तालेगांव के पास ड्राइव पेट्रोल भराने के लिए रुका। वहां उसने अन्य तीन लोगों स २५० रुपए लिए। जैसे ही कार ने खालापुर टोल प्लाजा क्रॉस किया, ड्राइव ने कार रोकी और वह टॉयलेट के लिए चला गया। उसके साथ अन्य दो व्यक्ति भी गए। जब वह वापस लौटे तो उनमें से एक व्यक्ति एंकर के साथ बैठा और उसने सर पर बंदूक तान दी। एंकर ने बयाता कि उन्होंने उसे हाथ से फोन छीन लिया और उसकी गोल्ड चेन ले ली। जिसके बाद वह एंकर को लेकर एटीएम गए और वहां से ४१ हजार रुपए निकाल लिए। जबकि उसकी जेब में मौजूद १,२०० रुपए उन्होंने छोड़ दिए।

वाट्सएप करने जा रहा है सबसे बड़ा
अब सिर्फ ५ लोगों को ही मैसेज शेयर कर सकेंगे भारतीय

नई दिल्ली। देश में लिंचिंग (भीड़ द्वारा व्यक्ति की हत्या) की घटनाओं के बीच फर्जी और भड़काऊं सामग्री सोशल मीडिया पर लगातार प्रसारित किया जा रहा है। जिसे रोकने में सोशल मीडिया लगातार नाकाम हो रही है। भारत सरकार की ओर से बार-बार इस बात को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों को लेटर और नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। इसी क्रम में फेसबुक के स्वामित्व वाले वाट्स एप ने अपने फीचर में बड़ा बदलाव किया है। शुक्रवार को वाट्सएप ने कहा कि वह भारत में एक ऐसा फीचर ला रही है, जिसके कारण उपयोगकर्ता सिर्फ पांच लोगों तक ही मैसेज फॉरवर्ड कर पाएंगे।इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने तीन जुलाई, २०१८ को वॉट्सएप को अपने लिखित संदेश में वॉट्सएप मंच के माध्यम से फैलाए जा रहे भड़काऊ संदेशों के दुरुपयोग को रोकने के लिए शीघ्रता से कदम उठाने को कहा गया था। उसी दिन वॉट्सएप ने मंत्रालय को अपना जबाव देते हुए कहा कि इस तरह के संदेशों और झूठी खबरों को हटाने के लिए आवश्यक प्रयास बढ़ाने की पहल की गई है। वाट्स एप ने इसके जवाब में कहा, 'भारत में लोग दुनिया के किसी अन्य देश के मुकाबले ज्यादा मैसेजेज, फोटोज और वीडियोज साझा करते हैं। इसलिए हम लोगों के साझा करने की सीमा घटाकर पांच करने जा रहे हैं।'

४२ घँटे में सुलझ गई ४२ लाख की गुत्थी
जोन ११ पुलिस टीम द्वारा सराहनीय कार्य

सुरक्षा को अनदेखा कर खुलेआम लूट के हथकंडे अपनाने के बाद शातिर लुटेरों ने सोने की लूट की घटना को अंजाम दिया था, मगर तीसरी आंख ने उन लुटेरों के अरमानों पर पानी फेर दिया। परिणामस्वरूप सभी ९ आरोपी एक के बाद एक जोन ११ पुलिस की गिरफ्त में आते गए और महज ४२ घँटे में अंदर ४२ लाख रुपये से अधिक मूल्य के १४०५ ग्राम सोने की लूट की घटना परत दर परत खुलती गई। इस कार्रवाई को नॉर्थ रिजन के एडिशनल सीपी राजेश प्रधान और जोन ११ के डीसीपी विक्रम देशमाने के मार्गदर्शन में जोन-११ पुलिस टीम ने अंजाम दिया। डीसीपी देशमाने ने बताया की सभी ९ आरोपियों के खिलाफ एमएचबी पुलिस ने मामला दर्ज बोरिवली कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें २४ जुलाई तक पुलिस हिरासत मिली है।

एम एच बी पुलिस के अनुसार, १८ जुलाई की सवा १२ बजे पीड़ित सोना पॉलिस कराने के लिए दहिसर स्थित कारखाने में कच्चा माल (सोना) लेकर जा रहा था। दहिसर स्टेशन के करीब ४ लोग आए और वे पीड़ित को 'चोर चोर' कहकर घेर लिए। उस दौरान मौका देखकर उनमें से एक आरोपी ने पीड़ित के हाथ से कच्चा सोने वाला बैग छीनकर फरार हो गया। पीड़ित की शिकायत पर एमएचबी पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की मदद से जाँच की, तो घटनास्थल से थोड़ी दूर आगे एक ऑटोरिक्शा संदिग्ध हालत में दिखाई दी। उस ऑटोरिक्शे के नँबर के आधार पर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्होंने बाकी आरोपियों के भी नाम बता दिए। सभी आरोपी मालवणी, दहिसर और आसपास के रहने वाले हैं। इनकी उम्र २० से ३० साल के बीच है। इनके पास से लुटे गए सोने की ७० चूडियों में से ६९ चूड़ियां (९९३) पुलिस ने बरामद कर ली।इस मामले में अबतक ९ लोगो की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जिनमे सभी आरोपियो की उम्र करीब २० से ३० वर्ष के बीच है। जो पहली बार ऐसे घटना को अंजाम दिया है।जिनका नाम इस प्रकार है।

पंकज पांढरकामे (२५) - पटपेढी कलेक्शन, सफिकउल्ला मंडळ (२४)-दागिना बनाने वाला, समीर किसन राणा (२३)-शिक्षण , तोयुद्दल मंडल (१९) -सोने पॉलिश, सचिन बाकेलाल गौड (२३) -शिक्षण, नाझीमअन्सारी (२०) बिस्किट विक्री करने वाला है, संतोष हमराज राजभर (२४)-मजदूर, शंकर सुलतान सिंग (२२) -सफाई कामगार,संतोष बबन तायडे (३६) -नोकरी करने का काम करता है। गिरफ्तार सभी आरोपियो को कोर्ट में पेश किया गया जहां आरोपियो को २४ जुलाई तक पुलिस कस्टडी दी गई है।

मॉडल, कलाकार, हेल्पर की जरूरत है
CINE, T. V. ARTISTS AND WORKERS ASSOCIA-TION (REGD.)

अच्छे मियाँ
कार्ड भी बनाकर दिया जाएगा... कार्ड की कीमत २५००/-
(Regd. No. A.L.C. -17-10174 Under Trade Union Act, 1926 With Government of Maharashtra)
Heena Arcade,Shop No16, S. V. Road, Jogeshwari (W), Mumbai-102
Tel. : 022-66989738 - 9220541108/ 08433238738

New Huma Caterers
Jogeshwari
★ We Have No Branch ★
Mohd. Salim
9820710325 / 9967865102
9867868339 / 26790046
: Address :
Shop No. 1, Old Ghaswala Stable, Next to Syndicate Bank, S.V. Road, Jogeshwari (W), Mumbai - 400 102.
Web.: www.newhumacaterers.com
E-mail : newhumacaterers@gmail.com

Baba Darbar CATERERS
GOOD CATERING JUST GOT BETTER
ILIYAS KHAN
97696 83552
022 6446 4406
RIZWAN KHAN
96193 01467
72088 93084
Veera Bros. Compound, Opp. Chauhan Classic, Near Hill Park, Captain Samant Marg, Andheri (W), Mumbai - 400 053.

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक - असगर अमीन शाह द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, गाला नं. 3-4 अमीन इंड. इस्टेट, सोनावाला क्रॉस रोड नं.2, जवाहर नगर फाटक ब्रिज के पास, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063 से मुद्रित कर रुम नं. जी-16, अमीन पारसी चाल, एस. वी. रोड, जोगेश्वरी (पश्चिम), मुंबई-400102 से प्रकाशित संपादक-असगर अमीन शाह